Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

No.F(403)VCS/RAJUVAS/R.T.I./2014/165 Dated: 26-4-2014

रजिस्टर्ड

श्री अमित यादव,
पुत्र श्री बंशीधर यादव,
मु.पो. मलिकपुर (तोरण),
ढाणी– न्यू नवोड़ी,
वाया गोविन्दगढ,तहसील चौमू,
जिला जयपुर–303712 (राज.)
मो. 9602881538

विषयः– अपील सं. 49/2014 श्री अमित यादव बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 16.04.2014 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः– निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 16.04.2014 की प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, क्लीनिक्स, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 49/2014

श्री अमित यादव.....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री अमित यादव– (उपस्थित)

(2) उत्तरदाता– डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

दिनांक 16.04.2014

निर्णय

अपीलार्थी श्री अमित यादव द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.01.2014 जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक एफ.(403)राजूवास/रजि./आर.टी.आई./2014/45 दिनांक 03.02.2014 प्रेषित कर वांछित सूचना के क्रम में देय 32 पृष्ठों के एवज में 2/– रू. प्रति पृष्ठ के हिसाब से 64/– रू. शुल्क का आई.पी.ओ./डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक भिजवाने या राशि विश्वविद्यालय में नकद जमा करवाने हेतु अपीलार्थी सूचित किया गया। अपीलार्थी ने जरिए रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र के 64 रू. के भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रेषित किए जो कि दिनांक 14.02.2014 को लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुए तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक एफ.(403)राजूवास/रजि./आर.टी.आई./2014/62 दिनांक 15.02.2014 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाकर सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2014 का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित की गयी सूचना तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.02.2014 को प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	वांछित सूचना	लोक सूचा अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर
1	PAPER I- Introductory veterinary Anatomy	वांछित सूचना के 8 पृष्ठ सलंग्न है।
2	PAPER-II Introductory veterinary Physiology and Biochemistry.	वांछित सूचना के 8 पृष्ठ सलंग्न है।
3	PAPER-III- Introductory animal management.	वांछित सूचना के 8 पृष्ठ सलंग्न है।
4	PAPER-V- Introductory animal Breeding and Genetics	वांछित सूचना के 8 पृष्ठ सलंग्न है।

Contd.

लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 26.03.2014 से सुनवाई में दिनांक 16.04.2014 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। दिनांक 16.04.2014 को अपीलार्थी एवं उत्तरदाता दोनों व्यक्तिशः उपस्थित रहे। अन्तिम बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वह महात्मा ज्योतिबा फूले वेटरनरी कॉलेज, चौमूं में A.H.D.P पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं तथा उसकी कॉपियां सही नहीं जॉची गयी है, अपनी कॉपी में दिए अंको एवं कॉपी जॉचे जाने से वह संतुष्ट नहीं है अतः उसकी कॉपी की दुबारा जॉच करवायी जावे तथा उसे न्याय दिलाया जावे। इसके विपरीत लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की अपील ग्राह्य किये जाने योग्य ही नहीं है क्योंकि उसके द्वारा अपील में यह कही भी नहीं लिखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना नहीं दी या अपूर्ण सूचना दी गयी। अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपील के स्वरूप में कॉपी सही नहीं जॉचे जाने के सम्बंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अपील मूल प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित होनी चाहिए, अपील में नए तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। अपीलार्थी ने अपील में समस्त नये तथ्य प्रस्तुत किए है इसके अलावा अपील को जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है उसी स्वरूप में यदि स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी अपीलार्थी द्वारा अंकित तथ्य धारा 2 (f) में वर्णित सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आते अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र से चाही गयी उत्तरपुस्तिका उसे उपलब्ध करवायी जा चुकी है उसे अब कोई सूचना दी जानी शेष नहीं है अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है। मेरे द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल भाव समझाते हुए अपीलार्थी से यह पूछा गया कि उसके द्वारा जो सूचना मांगी गई, क्या उसे वह प्रदान की जा चुकी है ? क्या वह उपलब्ध करवायी गयी सूचना से संतुष्ट है ? अपीलार्थी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि जो सूचना मांगी वह उपलब्ध करवा दी गयी है लेकिन कॉपी सही नहीं जॉची गयी है इस कारण ही अपील की गयी है।

मेरे समक्ष प्रस्तुत तर्को एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार हस्तगत अपील में विनिश्चय हेतु एक मात्र बिन्दू है :–

(1) **क्या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन बलहीन है क्योंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी थी ?**

इस सबंध में स्वीकृत स्थिति हैं कि अपीलार्थी ने A.H.D.P. 2013 की Theory Paper के चार प्रश्नपत्रों की स्वयं की उत्तरपुस्तिका चाही गयी, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा वांछित फीस भिजवाने पर उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दूवार अवगत करवाते हुए वांछित सूचना से सम्बन्धित 32 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध करवाई गयी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवायी गयी अथवा उपलब्ध करवायी गयी सूचनाएं अपूर्ण है। संपूर्ण अपील में उसके द्वारा संबंधित प्रश्न–पत्र की कॉपी जॉचे जाने पर आक्षेप किए गए है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अधिकारी एवं कुलपति को अपील प्रस्तुत कर अपील के स्वरूप में कॉपी जॉचे जाने पर आपत्तियॉ/आक्षेप प्रस्तुत किए गए है

Contd.-

तथा दुबारा कॉपी जॉच करवाने की मांग की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रथम अपील दायर किए जाने का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है लेकिन प्रथम अपील में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में की गयी कार्यवाही अथवा समुचित कार्यवाही नहीं करने को ही प्रश्नगत किया जा सकता है मूल प्रार्थना पत्र से हटकर अन्य बिन्दू पर अपील ग्राहय योग्य नहीं हो सकती। अपीलार्थी द्वारा कॉपी सही नहीं जॉचे जाने की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी को की है जो विधि द्वारा निर्धारित प्रावधानों के विपरीत है।

सूचना का अधिकार नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का बहुमूल्य अधिकार प्रदान करता है लेकिन सूचना प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जा सकती है तथा सूचना जिसे कि धारा 2 (f) में परिभाषित किया गया है, में वर्णित परिभाषा के दायरे में ही प्राप्त की जा सकती है। कॉपी सही नहीं जॉची गई उसके संबंध में अनुतोष/आपत्ति सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस हेतु सक्षम स्तर पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय उभय पक्षों की उपस्थिति ने खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति सभी संबंधित पक्षो को भिजवायी जावे।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER